भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4448

28 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: जीरे की खेती और उत्पादन

4448. श्री नाराणभाई काछड़िया:

श्री देवजी पटेल

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने क्षेत्र में जीरे की खेती की जाती है और विशेषकर गुजरात और राजस्थान में कितने एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है;

(ख) क्या मानसून की अनिश्चितता के कारण हाल के वर्षों के दौरान गुजरात और राजस्थान सहित देश में जीरे की खेती और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात और राजस्थान सहित देश के कई भागों में बेमौसम वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): वर्ष 2021-22 के लिए गुजरात और राजस्थान सहित देश में जीरे की खेती का क्षेत्रफल (तीसरा अग्रिम अनुमान) नीचे दिया गया है:

राज्य	**क्षेत्र (‘000 हे.)**
गुजरात	322.29
राजस्थान	609.72
अखिल भारत	934.04

(ख) और (ग): गुजरात में हाल के वर्षों में मानसून की अनिश्चितता के कारण जीरे की खेती और उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि, राजस्थान में, वर्ष 2022-23 में भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, पाला, शीत लहर के कारण जीरे की खेती का लगभग 22% क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(घ): प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य सरकार प्राथमिक रूप से आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में धनराशि उपलब्ध है। गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है और इसे स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त एक ज्ञापन के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। वित्तीय सहायता में एक घटक के रूप में कृषि आदान राजसहायता शामिल है, जिसकी गणना 33% और उससे अधिक की फसल हानि वाले प्रभावित क्षेत्र के लिए की जाती है।

राजस्थान सरकार ने प्रभावित जिलों के राजस्व गांवों में रबी फसलों की विशेष *गिरदावरी* का आदेश दिया है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जीरे के लिए राजस्थान के मुख्य जीरा उत्पादक जिलों (बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और नागौर) को पीएमएफबीवाई के तहत कवर किया गया है।

*****